न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Appeal 223 RTA 2008-140 (GCMS 2008-00004)

1. प्रभुलाल पुत्र जेठू जी, जाति माली कच्छवाहा,
   निवासी- सूरसागर रोड़, कायलाना चौराया,
   जोधपुर।
2. श्रीमती गीता उर्फ गोगा पुत्री श्री रामलाल
   व पत्नी श्री शंकरलाल जी जाति जाति माली के कायम
   मुकामानः -
   2.1. राजु पुत्र गीता उर्फ गोगा एवं श्री शंकरलाल
   2.2. तेजसिंह उर्फ पिन्सा पुत्र गीता उर्फ गोगा
   एवं श्री शंकरलाल
   निवासीगण बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने,
   जालेची झालरा, विद्याशाला जोधपुर।
   2.3. श्रीमती प्रेमलता पुत्री गीता उर्फ गोगा
   एवं पत्नी श्री दिनेशजी, जाति माली,
   निवासी- रावटी रोड़, सूरसागर, जोधपुर।
   2.4. श्रीमती हेमलता पुत्री गीता उर्फ गोगा
   एवं पत्नी श्री नवीनजी, जाति माली,
   निवासी- सुभाष चौक, रातानाडा, जोधपुर।
3. श्रीमती देवी पुत्री श्री जेठू जी, जाति माली,
   निवासी- प्रतापनगर, जोधपुर।
4. श्रीमती ओमी पुत्री श्री जेठू जाति माली के कायममुकामानः -
   4.1. कालूराम पुत्र श्रीमती ओमीबाई एवं दाउलाल, जाति
   माली,
   4.2. चम्पालाल पुत्र ओमी एवं दाउलाल, जाति माली
   निवासीगण- बालाजी मंदिर के सामने,
   रामपोल, की बारी के बाहर,
   चांदपोल, जोधपुर।
   4.3. श्रीमती सरला पुत्री श्रीमती ओमी एवं दाउलाल
   एवं पत्नी भारत भूषण जी देवड़ा
   निवासी- जाटा बास महामंदिर, जोधपुर।
   4.4. श्रीमती लीला देवी पुत्री श्रीमती ओमी एवं दाउलाल पत्नी
   जगदीश,
   निवासी- बालाजी मंदिर के सामने,
   रामपोल की बारी के बाहर, जोधपुर।
   4.5. श्री हिम्मतसिंह पुत्र स्व. श्री जगदीशजी (पौत्र श्रीमती
   ओमी बाई एवं दाउलाल जी) निवासी- बालाजी मंदिर के
   सामने, रामपोल की बारी के बाहर, जोधपुर।
   4.6. श्रीमती सविता पुत्री स्व. श्री जगदीशजी (पौत्री श्रीमती
   ओमी बाई एवं दाउलालजी एवं पत्नी श्री सुमितजी
   भाटी), जाति माली, निवासी- मानसागर महामंदिर
   जोधपुर।

अपीलाण्ड्स...

17.8.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

ब

ना

म

1. श्रीमती सूरज कंवर पत्नी श्री जगदीश मल, जाति मेहता, ओसवाल, निवासी 810 कल्याण पोल, डालडा बिल्डिंग, 7वी चौपासनी रोड़, जोधपुर।
2. श्रीमती वीणा पुत्री श्री जगदीशमल, पत्नी श्री शांतिलाल मेहता, जाति ओसवाल, निवासी- मूल जी की होटल के पीछे पूंगलपाड़ा के पास, जोधपुर।
3. श्रीमती ओमकुमारी पुत्री जगदीशमल, पत्नी श्री ओमप्रकाश भंसाली, जाति ओसवाल, निवासी- ईसाईयों के कब्रिस्तान के पास, रोटरी सर्कल के पास, जोधपुर।
4. श्रीमती रीटा पुत्री श्री जगदीशमल, पत्नी श्री महेन्द्रसिंह मेहता, जाति ओसवाल, निवासी- 12/2, महावीर नगर, कमला नेहरू अस्पताल के पास, पाल लिंक रोड़, जोधपुर।
5. श्रीमती मधु पुत्री श्री जगदीशमल व पत्नी श्री अचल जी भंसाली, जाति ओसवाल, निवासी- 40/42 रेल्वे बंगला, मेडिकल चौराहे के पास, जोधपुर।
6. नगर सुधार न्यास, जोधपुर जरिये सचिव नगर सुधार न्यास, जोधपुर।
7. रघुवीर मल मेहता पुत्र श्री कल्याणमल मेहता, जाति ओसवाल, निवासी- 810 कल्याणपोल के पीछे, 7 वी चौपासनी रोड़ जोधपुर क कायम मुकामान्ः -
   7.1. श्रीमती कमला पत्नी स्व. श्री रघुवीरसिंह मेहता, जाति ओसवाल
   7.2. मोहनसिंह पुत्र स्व. श्री रघुवीरसिंह मेहता, जाति ओसवाल
   7.3. धीरज पुत्र श्री स्व. रघुवीरसिंह मेहता, जाति ओसवाल सभी निवासीगण- प्लॉट संख्या 810 कल्याणपोल के पीछे, डालडा बिल्डिंग वाली गली, सातवी चौपासनी रोड़ जोधपुर।
8. राजकुमार सिंह मेहता पुत्र श्री कल्याणमल मेहता, जाति ओसवाल, निवासी- 810 कल्याणपोल के पीछे, 7 वी चौपासनी रोड़ जोधपुर के कायम मुकामान्ः -
   8.1. शीला मेहता पत्नी स्व. श्री राजकुमारसिंह
   8.2. उदय पुत्र स्व. श्री राजकुमारसिंह
   8.3. श्रीमती मोनी पुत्री स्व. श्री राजकुमारसिंह
   सभी जातियान् ओसवाल, निवासीगण- प्लॉट संख्या 810 कल्याण पोल के पीछे, सातवी चौपासनी रोड़, जोधपुर।

17.0.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

9. राजगोपाल सिंह मेहता पुत्र श्री कल्याणमल मेहता, जाति ओसवाल, निवासी- 810 कल्याणपोल के पीछे, 7 वी चौपासनी रोड़ जोधपुर के कायम मुकामः -
   9.1. श्रीमती दमयंती मेहता पत्नी स्व. श्री राजगोपाल सिंह
   9.2. युगल मेहता पुत्र स्व. श्री राजगोपाल सिंह
   9.3. सुरभि पुत्री स्व. श्री राजगोपाल सिंह पत्नी श्री मुकेश चौपड़ा
   9.4. डॉ. शुभा पुत्री स्व. श्री राजगोपाल सिंह पत्नी डॉ. वेड्डी
   9.5. शगुन पुत्री स्व. श्री राजगोपाल पत्नी मुकेश चौपड़ा
10. उगमकंवर मेहता पत्नी श्री हिम्मतमल मेहता, जाति ओसवाल, निवासी- 809 कल्याणपोल के पीछे 7 वी चौपासनी रोड़, जोधपुर।
11. श्रीमती सुभकंवर पत्नी श्री रणवीरसिंह, जाति ओसवाल, निवासी- 212 शास्त्री नगर, जोधपुर।
12. संजय पुत्र श्री रणवीरसिंह, जाति ओसवाल, निवासी- 212, शास्त्री नगर, जोधपुर।
13. ज्ञानमल मेहता पुत्र श्री हिम्मतमल मेहता, जाति ओसवाल, निवासी- फतेहपुरिया पोल, पाली मारवाड़, हाल निवासी- 809 कल्याणमल पोल के पीछे, 7 वी चौपासनी रोड़, जोधपुर।
14. थानमल मेहता पुत्र श्री हिम्मतमल मेहता, जाति ओसवाल, निवासी- 809 कल्याणपोल के पीछे, 7 वी चौपासनी रोड़, जोधपुर।
15. गुलाबमल मेहता पुत्र श्री हिम्मतमल मेहता, जाति ओसवाल, निवासी- सिलावटों का वास, सोजती गेट के अंदर जोधपुर।
16. राखड़मल मेहता पुत्र श्री कनकमल मेहता, जाति ओसवाल, निवासी- 809 चौपासनी रोड़ डालडा बिल्डिंग, सरदारपुरा, जोधपुर के कायम मुकामः -
   16.1. श्रीमती नेमकंवर पत्नी श्री राखड़मल जाति जैन, निवासी- प्लॉट नं. 809, राखड़कुटी, आठवी चौपासनी रोड़ जोधपुर।
   16.2. प्रतापसिंह पुत्र श्री राखड़मल जाति जैन, निवासी- प्लॉट नं. 809, राखड़कुटी, आठवी चौपासनी रोड़ जोधपुर।
   16.3. महावीरसिंह पुत्र श्री राखड़मल जाति जैन, निवासी- प्लॉट नं. 809, राखड़कुटी, आठवी चौपासनी रोड़ जोधपुर।
   16.4. श्रीमती लीलावती पुत्री श्री राखड़मल पत्नी श्री सी. एस. छाजेड़, जाति जैन, निवासी- प्लॉट नं. 809, राखड़कुटी, आठवी चौपासनी रोड़ जोधपुर।

17.0.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

16.5. श्रीमती मंजू पुत्री श्री राखइमल पत्नी श्री डी.के. वारडियासा, जाति जैन, निवासी- प्लॉट नं. 809, राखइकुटी, आठवी चौपासनी रोड़ जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी सहायक जिलाधीश, जोधपुर दिनांक 06 अगस्त 2008 राजस्व वाद संख्या 83/2004 अनवान प्रभुलाल व अन्य बनाम नगर सुधार न्यास, जोधपुर

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री अक्षय दवे, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

बावजूद सूचना रेस्पो. की ओर से कोई उपस्थित नहीं

नि र्ण य

दिनांक : 17 अगस्त 2023

अपीलाण्ट्स ने यह अपील न्यायालय सहायक जिलाधीश जोधपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 83/2004 प्रभुलाल व अन्य बनाम नगर सुधार न्यास जोधपुर में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 06 अगस्त 2023 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत दिनांक 07 अगस्त 2008 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स की ओर से ग्राम गेवा स्थित आराजी खसरा संख्या 785 कुल रकबा 397 बीघा 19 बिस्वा में से 98 बीघा 13 बिस्वा भूमि बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 व 92ए के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, जो विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण में से एक वादी जीतूसिंह का दिनांक 11 दिसम्बर 2006 को देहान्त हो जाने एवं उसके वारिसान को पक्षकार नहीं बनाये जाने के आधार पर

17.8.'23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जरिये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06 अगस्त 2008 को अबेट हो जाना मानते हुए खारिज कर दिया गया। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने प्रकरण के तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि आलौच्य मामले में विचारण न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी बाबत दावा मूलरूपेण वादीगण जेठू वल्द लालू कौम माली तथा परभु पुत्र जेठू कौम माली द्वारा पेश किया गया, दावा विचाराधीन रहने के दौरान इनमें से वादी संख्या एक जेठू वल्द लालू कौम माली का देहान्त हो जाने पर उसके विधिक वारिसान (रामलाल, जीतूसिंह, प्रभुलाल, भंवरी, देवी, ओमी एवं रामकंवरी पिसरान जेठूजी) को जेठूजी के कायममुकामान के तौर पर मामले में पक्षकारान संयोजित किया गया। इनमें से जीतूसिंह द्वारा दावा विचाराधीन रहने के दौरान वादग्रस्त भूमि में से अपने हिस्से बाबत एक वसीयतनामा एवं एक पंजीबद्ध हकतर्कनामा वादी प्रभुलाल के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया। इसके बाद कालान्तर में जीतूसिंह पुत्र जेठूजी का देहान्त हो गया। चूंकि जीतूसिंह द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपने हक-हिस्से बाबत वसीयतनामा एवं पंजीबद्ध हकतर्कनामा अपीलाण्ट प्रभु के हक में विधिवत निष्पादित किया जा चुका था, और प्रभु पूर्व से ही मामले में बतौर वादी पक्षकार चला आ रहा था, ऐसी स्थिति में जीतूसिंह का देहान्त हो जाने पर पृथक से आदेश 22 सीपीसी के तहत प्रार्थनापत्र पेश कर कायममुकामान की कार्यवाही किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। वादीगण की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 151 सीपीसी के तहत प्रार्थनापत्र पेश कर वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए जीतूसिंह का नाम तर्क किये जाने का निवेदन किया गया। इसके उपरान्त भी विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत

17.03.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

धारा 151 सीपीसी में वर्णित तथ्यों तथा वादीगण-अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत नजीरों को नजरअंदाज करते हुए सम्पूर्ण दावा अबेट मान कर खारिज कर दिया गया, जो किसी भी सूरत में विधिसम्मतः एवं न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। आलौच्य मामले में अपीलाण्ट्स की ओर से ग्राम गेवा स्थित आराजी खसरा संख्या 785 कुल रकबा 397 बीघा 19 बिस्वा में से 98 बीघा 13 बिस्वा भूमि बाबत प्रस्तुत किया गया, जो विचारण न्यायालय द्वारा वादीपक्ष में से एक जीतूसिंह का दिनांक 11 दिसम्बर 2006 को देहान्त हो जाने एवं उसके वारिसान को पक्षकार नहीं बनाये जाने के आधार पर जरिये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06 अगस्त 2008 को अबेट हो जाना मानते हुए खारिज कर दिया गया। इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर विदित होता है कि आलौच्य मामले में विचारण न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी बाबत दावा मूलरूपेण वादीगण जेठू वल्द लालू कौम माली तथा परभु पुत्र जेठू कौम माली द्वारा पेश किया गया, जो विचारण न्यायालय द्वारा संस्थित किया जाकर कार्यवाही आरम्भ की गयी, और दावा विचाराधीन रहने के दौरान इनमें से वादी संख्या एक जेठू वल्द लालू कौम माली का दिनांक 21 जून 1985 को देहान्त हो जाने पर प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर उसके विधिक वारिसान (रामलाल, जीतूसिंह, प्रभुलाल, भंवरी, देवी, ओमी एवं रामकंवरी पिसरान जेठूजी) को जेठूजी के कायममुकामान के तौर पर मामले में पक्षकारान संयोजित किया गया। इसी प्रकार समय-समय पर वादीपक्ष एवं प्रतिवादी-पक्ष के पक्षकारान का देहान्त होने पर परिस्थिति-अनुसार

17.07.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उनके वारिसान को अभिलेख पर लिये जाने/नाम तर्क किये जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थनापत्रों का निस्तारण किया जाकर तदनुसार कार्यवाही की गयी। इसी कम में दिनांक 27 फरवरी 2007 को वादी-अपीलाण्ट की ओर से विचारण न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश कर जाहिर किया कि दिनांक 11 दिसम्बर 2006 को वादी जीतूसिंह पुत्र जेठुसिंह का देहान्त हो चुका है तथा जीतूसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में वादग्रस्त आराजी में स्वयं के हिस्से की भूमि बाबत वसीयतनामा दिनांक 12 जुलाई 2003 एवं पंजीबद्ध हकतर्कनामा दिनांक 30 अगस्त 2003 वादी प्रभुलाल के पक्ष में निष्पादित कर दिया था, अतः जीतूसिंह के देहान्त के बाद वादग्रस्त भूमि में उसके हिस्से बाबत वसीयत के आधार पर वादी प्रभ को अधिकार अर्जित हो चुके है। वादी प्रभु आरम्भ से ही बतौर वादी मामले में पक्षकार है। अतः जीतूसिंह का नाम तर्क किया जावे। इस प्रार्थनापत्र में हकतर्क के आधार पर श्रीमती देवी व श्रीमती ओमीदेवी का नाम भी तर्क किये जाने का निवेदन किया गया। उक्त प्रार्थनापत्र के साथ जीतूसिंह की मृत्यु का प्रमाणपत्र एवं वसीयतनामा दिनांक 12 जुलाई 2003 एवं पंजीबद्ध हकतर्कनामा दिनांक 30 अगस्त 2003 की छायाप्रतियां भी पेश की गयी। जिनके अवलोकन से जीतूसिंह द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपने हिस्से की भूमि बाबत अपीलाण्ट प्रभु के पक्ष में वसीयतनामा दिनांक 12 जुलाई 2003 निष्पादित किया जाना प्रकट होता है। इसी प्रकार दिनांक 30 अगस्त 2003 को पंजीबद्ध हकतर्कनामा के जरिये जीतूसिंह पुत्र जेठुरामजी, श्रीमती देवी पुत्री जेठुरामजी एवं श्रीमती ओमी पुत्री जेठुरामजी द्वारा वादग्रस्त आराजी में से अपने-अपने हिस्से की भूमि बाबत हकतर्कनामा प्रभुलाल के पक्ष में निष्पादित किया जाना पाया जाता है। प्रतिवादी-रेस्पो. की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र का जबाब पेश कर विरोध किया गया और जाहिर किया कि जीतूसिंह के देहान्त

17.07.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के बाद विधिक प्रावधानों के अनुसार 90 दिन की समयावधि में आदेश 22 के तहत कायममुकामान की कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण दावा अबेट हो चुका है, अतः प्रस्तुत प्रार्थनापत्र एवं मूल दावा तदनुसार खारिज किये जावे। इसी आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी खारिज करते हुए वादी जीतूसिंह का दिनांक 11 दिसम्बर 2006 को देहान्त हो जाने एवं उसके वारिसान को पक्षकार नहीं बनाये जाने के आधार पर जरिये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06 अगस्त 2008 को अबेट हो जाना मानते हुए खारिज कर दिया गया। जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है क्योंकि जब अपने जीवनकाल में ही वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से बाबत विधिवत वसीयतनामा एवं पंजीबद्ध हकतर्कनामा अपीलाण्ट प्रभु पुत्र जेठूजी के पक्ष में निष्पादित कर दिया और मूल वाद में प्रभु पुत्र जेठूजी आरम्भ से ही बतौर वादी पक्षकार रहा है तो ऐसी स्थिति में जीतूसिंह के देहान्त के बाद आदेश 22 के तहत उसके कायममुकामान की कार्यवाही नहीं किये जाने के आधार पर दावा अबेट नहीं होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि जीतूसिंह का देहान्त दिनांक 11 दिसम्बर 2006 को होने के बाद 90 दिनों की समयावधि के भीतर ही (दिनांक 27 फरवरी 2007 को दिनांक 20 फरवरी 2007 की निर्धारित तारीख पेशी के बाद व आगामी तारीख पेशी दिनांक 13 मार्च 2007 के पूर्व) वादी-अपीलाण्ट की ओर से विचारण न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश कर दिया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिका दिनांक 13 मार्च 2007 में पीठासीन अधिकारी की अनुपलब्धता/अन्य कार्यो में व्यस्तता के कारण पेशी इल्तवा की जाकर आगे पेशी 25 अप्रेल 2007 मुकर्रर की गयी, जिसकी आदेशिका दिनांक 25 अप्रेल 2007 की आदेशिका में उक्त प्रार्थनापत्र

17.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक 27 फरवरी 2007 को प्रस्तुत होने का उल्लेख भी किया गया है।

इन परिस्थितियों में उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 मई 2008 अपास्त किये जाकर प्रकरण क्षेत्राधिकार के आधार पर न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) जोधपुर को इस निर्देश साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मूल वाद में पुनः कार्यवाही करते हुए नियमानुसार विधिक प्रकिया के अनुरूप प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.8.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर